



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-18062026-273530
CG-MP-E-18062026-273530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2943]
No. 2943]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण-I)]

अधिसूचना

भोपाल, 3 जून, 2026

का.आ. 3049(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले में विशेष रेल परियोजना इटारसी-भोपाल-बीना खण्ड (236.97 कि.मी.) नई चौथी रेल लाईन के निर्माण हेतु के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन एवं संचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभाग-गौहरगंज, जिला रायसेन म.प्र. को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आपेक्षों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, जिसे

सक्षम अधिकारी आवश्यक समझ करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो अपेक्षों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखाकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग गौहरगंज व उप मुख्य अभियंता, निर्माण-प्रथम पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के अंतर्गत उमरिया ग्राम में, इटारसी-भोपाल-बीना खण्ड (236.97 कि.मी.) नई चौथी रेल लाईन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की जाने वाली सरंचना सहित एवं सरंचना रहित भूमि का संक्षेप्त विवरण

क्र. सं.	अर्जनाधीन खसरा नम्बर	रेलवे द्वारा भूमि का कुल रकवा (हेक्टेयर में)	राजस्व रिकार्ड अनुसार कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (निजी/शासकीय)	भूमि की प्रकृति (कृषि/बंजर)	भूमि (सिंचित/असिंचित)
1	250/3	2.050	1.9230	0.236	निजी	कृषि	सिंचित
2	250/2	1.558	1.8620	0.116	निजी	कृषि	सिंचित
3	250/1/2/1/2	1.816	1.8290	0.053	निजी	कृषि	सिंचित
4	250/1/2/1/1	1.094	1.0040	0.012	निजी	कृषि	सिंचित
5	234	1.925	1.7320	0.017	निजी	कृषि	सिंचित
6	182	0.082	0.0650	0.000	निजी	कृषि	सिंचित
7	181	0.067	0.0610	0.001	निजी	कृषि	सिंचित
8	167	0.018	0.0120	0.008	निजी	कृषि	सिंचित
9	166	0.437	0.4050	0.019	निजी	कृषि	सिंचित
10	165	0.010	0.0160	0.004	निजी	कृषि	सिंचित
11	164	0.262	0.2710	0.001	निजी	कृषि	सिंचित
12	163	0.078	0.0850	0.002	निजी	कृषि	सिंचित
13	162	0.0191	0.2150	0.006	निजी	कृषि	सिंचित
14	158	0.090	0.0850	0.008	निजी	कृषि	सिंचित
15	157	0.098	0.0930	0.002	निजी	कृषि	सिंचित
16	156	0.080	0.0810	0.010	निजी	कृषि	सिंचित
17	155	0.297	0.2550	0.019	निजी	कृषि	सिंचित
18	141	0.675	0.5990	0.001	निजी	कृषि	सिंचित
19	140	0.200	0.2030	0.003	निजी	कृषि	सिंचित
20	133/2	0.341	0.3460	0.007	निजी	कृषि	सिंचित
21	132	0.488	0.4410	0.082	निजी	कृषि	सिंचित
22	128	0.192	0.1940	0.055	निजी	कृषि	सिंचित
23	127	0.160	0.1250	0.048	निजी	कृषि	सिंचित
24	100/1/1	0.729	0.6840	0.140	निजी	कृषि	सिंचित
25	100/1/2	0.514	0.4820	0.037	निजी	कृषि	सिंचित
26	100/2	0.216	0.2020	0.002	निजी	कृषि	सिंचित
27	99/3	1.294	1.3030	0.039	निजी	कृषि	सिंचित
28	99/2	1.206	1.2140	0.084	निजी	कृषि	सिंचित
29	99/1	1.195	1.2140	0.219	निजी	कृषि	सिंचित
30	94/1/2/1	0.981	1.0120	0.102	निजी	कृषि	सिंचित
31	93/1	0.418	0.5060	0.132	निजी	कृषि	सिंचित
32	93/2	0.023	0.0280	0.008	निजी	कृषि	सिंचित

33	91	2.885	2.9140	0.007	निजी	कृषि	सिंचित
34	89	0.131	0.1380	0.004	निजी	कृषि	सिंचित
कुल रकवा हैक्टेयर में		21.629		1.484			

[कंप्यूटर नं. 330954 फा. सं.- पमरे-बीपीएल सीओ इंजि (एमआईएससी)/82/2025-ओ/ओडीवायसीइ/सी-1/बीपीएल]

इंद्रजीत वर्मा, मुख्य अभियंता/निर्माण – I

MINISTRY OF RAILWAYS

[West Central Railway (Con-1)]

NOTIFICATION

Bhopal, the 3rd June, 2026

S.O. 3049(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (as Amendment Act 2008, the Central Government, After being satisfied that the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of special Railway project construction of Etarsi-Bhopal-Bina Section (236.97 Km) 4th New Line in Raisen District of the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20(d) of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Officer and Competent Authority and Sub-Divisional Officer(Revenue), Sub-Division-Goharganj, District Raisen, M.P. and shall set out there in the grounds there of and the Competent Officer shall afford the applicant an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and after hearing all such objection and making such further inquiry, if any, as the Competent Officer may deem necessary, may by order either allow or disallow the objection.

The order made by the competent authority under sub-section(2) of section 20(d) of the said Act shall be final.

The plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the above mentioned office of the competent authority and the office of Sub-Divisional Officer (Revenue) Sub-Division Goharganj and Deputy Chief Engineer, (Con-1) west central railway, Bhopal

SCHEDULE

Brief details of land with or without structure to be acquired for the construction project of Etarsi-Bhopal-Bina Section (236.97 Km) 4th New Line in the state of Madhya Pradesh

Village - Umaria

Tehsil – Goharganj

District - Raisen

Sr. No.	Survey No.	Total area of Land	Total area of Revenue	Area of acquired Land	Type of Land private/Govt.	Nature of Land agricultural/fallow	Irrigated/ Non-irrigated land
1	250/3	2.050	1.9230	0.236	Private	Agriculture	Irrigated
2	250/2	1.558	1.8620	0.116	Private	Agriculture	Irrigated
3	250/1/2/1/2	1.816	1.8290	0.053	Private	Agriculture	Irrigated
4	250/1/2/1/1	1.094	1.0040	0.012	Private	Agriculture	Irrigated
5	234	1.925	1.7320	0.017	Private	Agriculture	Irrigated
6	182	0.082	0.0650	0.000	Private	Agriculture	Irrigated
7	181	0.067	0.0610	0.001	Private	Agriculture	Irrigated
8	167	0.018	0.0120	0.008	Private	Agriculture	Irrigated
9	166	0.437	0.4050	0.019	Private	Agriculture	Irrigated
10	165	0.010	0.0160	0.004	Private	Agriculture	Irrigated
11	164	0.262	0.2710	0.001	Private	Agriculture	Irrigated
12	163	0.078	0.0850	0.002	Private	Agriculture	Irrigated
13	162	0.0191	0.2150	0.006	Private	Agriculture	Irrigated

14	158	0.090	0.0850	0.008	Private	Agriculture	Irrigated
15	157	0.098	0.0930	0.002	Private	Agriculture	Irrigated
16	156	0.080	0.0810	0.010	Private	Agriculture	Irrigated
17	155	0.297	0.2550	0.019	Private	Agriculture	Irrigated
18	141	0.675	0.5990	0.001	Private	Agriculture	Irrigated
19	140	0.200	0.2030	0.003	Private	Agriculture	Irrigated
20	133/2	0.341	0.3460	0.007	Private	Agriculture	Irrigated
21	132	0.488	0.4410	0.082	Private	Agriculture	Irrigated
22	128	0.192	0.1940	0.055	Private	Agriculture	Irrigated
23	127	0.160	0.1250	0.048	Private	Agriculture	Irrigated
24	100/1/1	0.729	0.6840	0.140	Private	Agriculture	Irrigated
25	100/1/2	0.514	0.4820	0.037	Private	Agriculture	Irrigated
26	100/2	0.216	0.2020	0.002	Private	Agriculture	Irrigated
27	99/3	1.294	1.3030	0.039	Private	Agriculture	Irrigated
28	99/2	1.206	1.2140	0.084	Private	Agriculture	Irrigated
29	99/1	1.195	1.2140	0.219	Private	Agriculture	Irrigated
30	94/1/2/1	0.981	1.0120	0.102	Private	Agriculture	Irrigated
31	93/1	0.418	0.5060	0.132	Private	Agriculture	Irrigated
32	93/2	0.023	0.0280	0.008	Private	Agriculture	Irrigated
33	91	2.885	2.9140	0.007	Private	Agriculture	Irrigated
34	89	0.131	0.1380	0.004	Private	Agriculture	Irrigated
Total Area in hec.		21.629		1.484			

[Computer No. 330954 F. No. - WCR-BPLCOENGG(Misc.)/82/2025-O/o Dy.CE/C-I/BPL]

INDRAJEET VERMA, Chief Engineer, Construction-I